न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 154/2015
जी.सी.एम.एस. : 2015/00500

1. कंवलजीत सिंह पुत्र तीर्थसिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण सिख निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–:प्रार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र सेवा सिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण सिख निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. हरविन्द्र सिंह पुत्र तीर्थसिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण सिख निवासी 33 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री परमजीत सिंह मेहरा, वकील अप्रार्थी सं. 1
3. श्री सुशील गोदारा, वकील अप्रार्थी सं. 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा सेवा सिंह पुत्र गोकल सिंह के नाम चक 33 एनपी के खाता सं. 86 मु.नं. 14 प.नं. 197/330 कि.नं. 3/2 ता 8/1 व कि.नं. 13/2 ता 18/1 व कि.नं. 23/2 ता 25 की 3.099है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो रिफ्यूजी आवंटन हुई थी। सेवा सिंह के कुल 8 जायज वारिसान थं। उपरोक्त भूमि सेवा सिंह के प्रत्येक वारिसान के नाम 1/8 हिस्सा विरास्तन दर्ज हुआ। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी के पिता तीर्थसिंह का 1/8 हिस्सा विरास्तन आया हैं व प्रार्थी को अपने पिता के उपरोक्त 1/8 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा विरास्तन आया हैं, जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को घरू बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार किलेवाईज बंटवारा करवाने के लिए अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन यिकां परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी को बार बार आश्वासन देते रहे। दिनांक 15.12.15 बमुकाम चक 33 एनपी में सपष्ट इंकार हो गये व धमकी दी कि वे प्रार्थी के कब्जा काश्त भूतिम पर जबरन कब्जा कर भूमि किसी अन्य को बैय, रहन, हस्तान्तरण कर देंगे। यदि अप्रार्थी सं. 1–2 के द्वारा भूमि विक्रय कर दी जाती हैं तो प्रार्थी के प्रकरण का मूल मकसद ही समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया कि चक 33 एनपी का खाता सं. 86 मु.नं. 14 प.नं. 197/330 कि.नं. 3/2 ता 8/1 व कि.नं. 13/2 ता 18/1 व कि.नं. 23/2 ता 25 की 3.099है. नहरी भूमि में वादी के पिता का 1/8 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भूमि को किसी अन्य को रहन बैय व किसी दीगर तरीके से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 33 एनपी के मु.नं. 14 प.नं. 197/330 की 12 बीघा 5 बीस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के पिता सेवासिंह को आवंटित हुई थी, जो उसकी स्वअर्जित भूमि थी। जिसको सेवा सिंह ने अपने जीवन काल में ही जरिये दान पत्र अप्रार्थी सं. 1 के नाम करवा दी थी। जिसका कब्जा अप्रार्थी सं. 1 के पास शान्ति पूर्ण चला आ रहा हैं। प्रार्थी सेवा सिंह का पोता नहीं हैं। क्योंकि प्रार्थी न्यायालय में उक्त [illegible] अनवानी कंवलजीत सिह बनाम नरेन्द्र सिंह पेश किया गया था, जो सेवासिंह के जीवनका[illegible] दौरा[illegible] किया था। जिसमें सेवासिंह ने प्रार्थी के पिता तीर्थसिंह को अपना पुत्र [illegible] दान पत्र मिली हुई हैं। अतः यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की [illegible] पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु [illegible]। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर [illegible] दिनांक 18.03.2019 को बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:19 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि भूमि प्रार्थी के दादा को आंवटित हुई थी। तथा उसके पश्चात प्रार्थी के पिता को विरास्तन प्राप्त हुई। तथा प्रार्थी का अपने पिता की भूमि में विरास्तन 1/2 भाग हैं। अप्रार्थीगण भूमि को विक्रय कर प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि सेवा सिंह द्वारा आंवटित भूमि अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

दान पत्र कर दी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में भी दावा पेश किया गया था। अप्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। यदि अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं। तो अप्रार्थी सं. 1 को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2069–72 चक 33 एनपी खाता सं. 86 के मु.नं. 14 प.नं. 197/330 की कुल 3.099है. नहरी भूमि सवासिं वल्द गोकल सिंह कौम कश्मीरी ब्राहमण सिख सा. देह खातेदार दर्ज हैं, जमाबंदी के कॉलम सं. 11–12 में भूमि नामा. सं. 304 नि.दि. 22.12.2014 जरिए दान नरेन्द्र सिंह वल्द सेवा सिंह 1.518है. एवं नामा. सं. 318 नि.दि. 28.08.2015 जरिए बेचान हरविन्द्र सिंह वल्द तीर्थसिंह 1.581है. के नाम दर्ज हैं। अतः अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थी के विवादित भूमि में हक हिस्से का निर्णय मूल वाद में वादबिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हैं। किसी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner